मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2023 सत्र

अनुपूरक कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 12 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 21, 1945)

आज की कार्यसूची के पद 8 को उप पद (1) के रूप में क्रमांकित कर उसके पश्चात् निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

निर्धारित समय

8. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(2) **श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री,** मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे

(3) **श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री,** मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) **श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री,** मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) **श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री,** मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(6) **डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री,** मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(7) **श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री,** प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2023
30 मि. (क्रमांक 8 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(8) **श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री,** प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,
1 घण्टा 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(9) **श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री,** प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश
30 मि. निवेश संवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (10) **श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री,** प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(11) **डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री,** प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

2 घण्टे 30 मि. " दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54 एवं 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छब्बीस हजार आठ सौ सोलह करोड़, तिरेसठ लाख, सतासी हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

10. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 12 जुलाई, 2023.

---

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.